न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 179/2019
अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर हाल निवास चक 8 केएम सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

2. श्रीचन्द पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर हाल निवास चक 8 केएम सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर।

–तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 28/08/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के ख0न0 474 की 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि व ख0न0 522 की 13.4 बीघा कुल 37.17 बीघा भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का नाम हीराराम दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का सही व वास्तविक नाम हरीराम दर्ज है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड में दर्ज है अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का नाम हीराराम के स्थान पर हरीराम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का नाम हीराराम दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का सही व वास्तविक नाम हरीराम दर्ज है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड में दर्ज हैं अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का नाम हीराराम के स्थान पर हरीराम दर्ज करने के आदेश फरमावे। वाद वादी डिक्री [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:04 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर [illegible] गया। पत्रावली में [illegible] दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के ख0न0 474 की 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि व ख0न0 522 की 13.4 बीघा कुल 37.17 बीघा भूमि

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

वादी व तरतीबी प्रतिवादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी अपने पिता का नाम हीराराम के स्थान पर हरीराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचना पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का नाम हरीराम अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के ख0न0 474 की 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि व ख0न0 522 की 13.4 बीघा कुल 37.17 बीघा भूमि में **वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का नाम हीराराम के स्थान पर हरीराम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता के नाम हीराराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का हीराराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का नाम हीराराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/08/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 179/2019

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर हाल निवास चक 8 केएम सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

2. श्रीचन्द पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर हाल निवास चक 8 केएम सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर।

–तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 179 सन 2019 निर्णय दिनांक 28/08/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के ख0न0 474 की 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि व ख0न0 522 की 13.4 बीघा कुल 37.17 बीघा भूमि में **वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का नाम हीराराम के स्थान पर हरीराम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता के नाम हीराराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का हीराराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता का नाम हीराराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/08/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:04 IST
Reason: SelfAttested